न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया (33)

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 455/2024

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

अमन दीप धारणियां पुत्र श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. मनफूल सिंह पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. कृष्णा देवी पत्नी श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कमल दीप बिश्नोई पुत्र श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. अनुराधा पुत्री श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 14.8.24

वादी अमन दीप धारणियां ने प्रतिवादीगण मनफूल सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 2 वादी की माता, प्रतिवादी सं. 3 वादी का भाई एवं प्रतिवादीया सं. 4 वादी की बहिन है, जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एम.जे.डी. के खाता सं. 80/52 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.602 है. कृषि भूमि, वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एस.बी.एन. के खाता सं. 83/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.675 है. कृषि भूमि, वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 आर.टी.पी. द्वितीय के खाता सं. 95/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.253 है. कृषि भूमि तथा वादी की माता प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एन. टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 23/14 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 2.024 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि [illegible] पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने अपने समस्त हक व हिस्सा [illegible] कृषि भूमि [illegible] कर दिया [illegible] प्रतिवादी सं. 1 व 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि [illegible] के पक्ष में बंटवारानुसार [illegible] चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. [illegible] के खाता [illegible] प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में बंटवारानुसार [illegible] प्रतिवादीया सं. 4 [illegible] वादी अच्छा दान [illegible] राजीखुशी [illegible] बंटवारा में प्राप्त प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त कर ली है तथा [illegible] अपने [illegible] बंटवारा में प्राप्त 109/45 में प्राप्त कर दी है जो प्रतिवादी सं. 2 व 3 दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है जो अपने [illegible] जीवनयापन कर रही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :–

(क) **वादी अमन दीप धारणियां पुत्र श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:50 IST
Reason: SelfAttested

(33)

चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 23/14 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
182/162	25	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 8,9,11,12,13,19,20/0.253 है.,
		कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादीया सं. 2 कृष्णा देवी पत्नी श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 9 एस.बी.एन. खाता सं. 83/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
184/197	20	8/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 3 आर.टी.डब्ल्यु. द्वितीय खाता सं. 95/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
184/196	83	14/0.253 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 3 कमल दीप बिश्नोई पुत्र श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 2 एम.जे.डी. खाता सं. 80/52 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
176/189	62	1,2,3,9,11,12/0.253 है.प्र., 20/2/0.084 है.
		कुल 1.602 है. कृषि भूमि

चक 9 एस.बी.एन. खाता सं. 83/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
184/197	20	13/0.253 है., 14/0.169 है.
		कुल 0.422 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 5 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 2 एम.जे.डी. के खाता सं. 80/52 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 9 एस.बी.एन. के खाता सं. 83/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, चक 3 आर.टी.पी. द्वितीय के खाता सं. 95/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के [illegible] 4 है। [illegible] जो [illegible] किया जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 की प्रतियां पेश [illegible] नियम 4 [illegible] की गई। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा [illegible] के कथन जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी [illegible]

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस [illegible] किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार [illegible] आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:50 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। [illegible] वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

[illegible] वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से [illegible] संगरिया के चक 2 एम.जे.डी. के खाता सं. 80.52 जमाबन्दी सम्वत् [illegible] में 1.[illegible] है कृषि भूमि, वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एस.बी.एन. के खाता सं. 83.58 जमाबन्दी सम्वत् [illegible] में [illegible] है कृषि भूमि, वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 आर.टी.पी. द्वितीय के खाता सं. 95.71 जमाबन्दी सम्वत् [illegible] में [illegible].253 है कृषि भूमि तथा वादी की माता प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 23.14 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.024 है. कृषि भूमि दर्ज [illegible] रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी [illegible] पुत्र श्री [illegible] सिंह जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :

चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 23.14 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
1[illegible]	[illegible]	[illegible] है, [illegible] है,
		[illegible],11,1[illegible],1[illegible],1[illegible],[illegible] [illegible] है।
		कुल 2.024 है. [illegible] कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादीया सं. 2 [illegible] देवी पत्नी श्री [illegible] सिंह जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :

चक 9 एस.बी.एन. खाता सं. 83.58 जमाबन्दी सम्वत् [illegible]

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
[illegible]	[illegible]	[illegible] है
		कुल [illegible] है कृषि भूमि

चक 3 आर.टी.डब्ल्यु. द्वितीय खाता सं. [illegible] जमाबन्दी सम्वत् [illegible]

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
[illegible]	[illegible]	[illegible] है
		कुल [illegible] है कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 3 [illegible] बिश्नोई पुत्र श्री [illegible] सिंह जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :

चक 2 एम.जे.डी. खाता सं. [illegible] जमाबन्दी सम्वत् [illegible]

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
[illegible]	[illegible]	1,[illegible],11,1[illegible] [illegible] है
		कुल 1.[illegible] है कृषि भूमि

चक 9 एस.बी.एन. खाता सं. [illegible] जमाबन्दी सम्वत् [illegible]

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
[illegible]	[illegible]	[illegible] है, [illegible] है
		कुल [illegible] है कृषि भूमि

मुताबिक [illegible] वादी को माता प्रतिवादीया सं. 2 के [illegible] खाता सं. 23.14 जमाबन्दी सम्वत् [illegible] चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. की [illegible] वादी को [illegible] घोषित कर प्रतिवादी [illegible] 2.024 है कृषि भूमि पर वादी [illegible] इसी प्रकार वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 [illegible] तहसील संगरिया के चक 9 एस.बी.एन. के खाता सं. 83/58 [illegible] है कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं. 2 [illegible] जमाबन्दी सम्वत् [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:47:5
Reason: SelfAttested

(35)

को 0.253 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 3 को 0.422 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे. इसी प्रकार वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एम.जे.डी. के खाता सं. 80/52 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में 1.602 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 आर.टी.पी. द्वितीय के खाता सं. 95/71 जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में 0.253 है. कृषि भूमि का प्रतिवादीया सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड [illegible] पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प[illegible]वल[illegible] बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायाल[illegible] [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:50 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 455/2024

अमन दीप धारणियां पुत्र श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई निवासी [illegible]
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

बनाम्

मनफूल सिंह पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी [illegible]
हनुमानगढ़(राज.)

2. कृष्णा देवी पत्नी श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई निवासी [illegible]
जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कमल दीप बिश्नोई पुत्र श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई निवासी [illegible]
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. अनुराधा पुत्री श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई निवासी [illegible]
हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक - [illegible]

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. [illegible] वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ [illegible] जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 [illegible] होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) **वादी अमन दीप धारणियां पुत्र श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई** [illegible] **संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की भूमि** [illegible] -

चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 23/14 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
182/162	25	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
		8,9,11,12,13,19,20/0.253 है.प्र.
		कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादीया सं. 2 कृष्णा देवी पत्नी श्री मनफूल सिंह जाति बिश्नोई** [illegible]
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व [illegible]
भूमि :-

चक 9 एस.बी.एन. खाता सं. 83/58 जमाबन्दी सम्वत् [illegible]

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
184/197	20	8/0.253 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 3 आर.टी.डब्ल्यु. द्वितीय खाता सं. 95/71 जमाबन्दी सम्वत् [illegible]

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
184/196	83	14/0.253 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

(ग) **प्रतिवादी सं. 3 कमल दीप बिश्नोई पुत्र श्री** मनफूल [illegible]
संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ [illegible]
कृषि भूमि :-

चक 2 एम.जे.डी. खाता सं. 80/52 जमाबन्दी [illegible]

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
176/189	62	1,2,3,9,11,12/0.253 है.प्र., [illegible]
		कुल 1.602 है. कृषि भूमि

चक 9 एस.बी.एन. खाता सं. 83/58 जमाबन्दी सम्वत् [illegible]

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
184/197	20	13/0.253 है., 14/0.169 है.
		कुल 0.422 है. कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:50 IST
Reason: SelfAttested

31

मुताबिक बंटवारा वादी की माता प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 23/14 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.024 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एस.बी.एन. के खाता सं. 83/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.675 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं. 2 को 0.253 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 3 को 0.422 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एम.जे.डी. के खाता सं. 80/52 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.602 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 आर.टी.पी. द्वितीय के खाता सं. 95/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.253 है. कृषि भूमि का प्रतिवादीया सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .... निल .... मुब्लिक ....निल .... बाबत् .... निल........... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 19.8.24 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:50 IST
Reason: SelfAttested